भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2139

उत्तर देने की तारीख : 12.02.2026

समाधान पोर्टल के अंतर्गत मामलों का निस्तारण

2139. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) समाधान पोर्टल के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) द्वारा दायर आवेदनों और निपटाए गए मामलों का वर्तमान अनुपात कितना है और स्वीकार करने से पहले के चरण में लंबित मामलों के प्राथमिक कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार के पास जिला कलेक्टरों को भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली हेतु भेजे गए छह माह से अधिक समय से निष्पादन किए हेतु लंबित निर्णयों का आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले वर्षों के दौरान समाधान पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की छत्तीसगढ़ सहित राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) छत्तीसगढ़ में इस पोर्टल के अंतर्गत अपनी शिकायतें दर्ज कराने वाले चावल मिल मालिकों की संख्या कितनी है;

(ङ) सांविधिक समय-सीमाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, विशेषकर छत्तीसगढ़ में, राज्य परिषदों की बैठकों की संख्या की निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) दिवालियापन कार्यवाही से गुजरने वाले खरीदारों के मामले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बकाया को डूबने से बचाने के लिए किए गए उपाय क्या हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : एमएसएमई समाधान पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा किए गए आवेदन की संख्या 2,56,892 हैं। इनमें से, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) द्वारा कुल 1,57,997 मामलों का निपटान किया गया है। इस प्रकार, निपटान किए गए मामलों के लिए दर्ज किए गए आवेदनों का अनुपात 1: 0.61 है।

दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 से सभी नए मामले एमएसई द्वारा शुरू किए गए नए पोर्टल एमएसएमई ओडीआर पोर्टल (https://odr.msme.gov.in/) पर दर्ज किए जा रहे हैं।

एमएसईएफसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आवेदन के प्रथम चरण पर विलंब के प्रमुख कारणों में अपूर्ण आवेदन/संबंधित दस्तावेजों की कमी वाले आवेदन, औपचारिक प्रवेश से पहले पात्रता और दावा विवरण के सत्यापन में लगने वाला समय, एमएसई द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेजों में विसंगतियां, समाधान पोर्टल पर अपूर्ण आवेदन दाखिल करना, उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) विवाद के उपरांत प्राप्त होना, नोटिस जारी होने के बाद खरीदारों/उत्तरदाताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त होने में देरी, सुविधा परिषदों की सीमित प्रशासनिक क्षमता और कार्यभार आदि शामिल हैं।

जिला कलेक्टरों को भेजे गए विवरण का कोई डेटा एमएसएमई मंत्रालय के पास नहीं रखा जाता है।

(ग) : दिनांक 30.10.2017 को पोर्टल की शुरुआत के बाद से छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में समाधान पोर्टल पर दर्ज मामलों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-1** में संलग्न है।

(घ) : समाधान पोर्टल के लिए एनआईसी डेटा के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक राइस मिलिंग गतिविधि (एनआईसी - 2008 कोड: 10612 - राइस मिलिंग) के तहत 19 आवेदन दर्ज किए गए हैं।

(ङ) : एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार, एमएसईएफसी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के एकल अधिकार क्षेत्र में आते हैं और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा तैयार किए गए विशिष्ट नियमों के अनुसार अपनी कार्यवाही संचालित करते हैं। विलंबित भुगतान आवेदनों के समय पर समाधान के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के साथ अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में एमएसईएफसी की संख्या बढ़ाने और परिषदों की नियमित बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया है।

विश्व बैंक की सहायता से केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, "एमएसएमई के कार्य निष्पादन में संवर्धन और गतिवर्धन (रैम्प)" के तहत, एमएसईएफसी को उनके कामकाज को सुदृढ़ करने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए मानव संसाधन (कानूनी और कार्यालय/सचिवालय) और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता प्रदान की जा रही है।

उद्योग निदेशालय, छत्तीसगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुपालन और वैधानिक समय-सीमा सुनिश्चित करने के लिए, प्रभावी निगरानी और मामलों के त्वरित निपटान हेतु अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें कॉज लिस्ट और मामले की ट्रैकिंग, समयबद्ध चरण रूपांतरण, फ़ाइल निगरानी, पुराने मामलों को प्राथमिकता, और सेवा तथा नोटिस तंत्र के बहुसंख्य उपाय शामिल हैं।

(च) : दिवालियापन कार्यवाही दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 द्वारा शासित है और एमएसएमई को इस अधिनियम के तहत परिचालन लेनदार के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

****

अनुबंध –I

समाधान पोर्टल पर दर्ज मामलों का राज्य-वार विवरण (दिनांक 09.02.2026 तक)		
क्र. सं.	**राज्य**	**एमएसई द्वारा दायर आवेदन**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	64
2	आंध्र प्रदेश	1,671
3	अरुणाचल प्रदेश	3
4	असम	1,092
5	बिहार	838
6	चंडीगढ़	1,276
7	छत्तीसगढ़	2,788
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	994
9	दिल्ली	29,657
10	गोवा	850
11	गुजरात	26,691
12	हरियाणा	18,748
13	हिमाचल प्रदेश	1,331
14	जम्मू और कश्मीर	693
15	झारखंड	1,558
16	कर्नाटक	13,900
17	केरल	3,263
18	लद्दाख	0
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	4,682
21	महाराष्ट्र	58,235
22	मणिपुर	23
23	मेघालय	83
24	मिजोरम	3
25	नागालैंड	16
26	ओडिशा	1,605
27	पुडुचेरी	268
28	पंजाब	11,594
29	राजस्थान	15,903
30	सिक्किम	8
31	तमिलनाडु	17,149
32	तेलंगाना	7,076
33	त्रिपुरा	17
34	उत्तर प्रदेश	20,810
35	उत्तराखंड	2,500
36	पश्चिम बंगाल	11,503
	सकल योग	**2,56,892**